सिक्किम विश्वविद्यालय

दिनांक 26 अगस्त, 2016 को आईसीएसएसआर भवन, नई दिल्ली में आयोजित वित्त समिति की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्य :

1. प्रोफेसर टी.बी.सुब्बा, कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ. सुखबीर सिंह संधु [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य (श्री सूरत सिंह, डीएस (केवि एवं भाषा, एमएचआरडी) द्वारा प्रस्तुत
3. डॉ. के.पी. सिंह [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य
4. प्रोफेसर चेतन सिंह [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
5. श्री एम.जी.किरण (ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
6. श्री टी.के.कौल [कुलसचिव]	सदस्य
7. सीए. पी.के.सिंह [वित्त अधिकारी]	सदस्य

श्री फजल महमूद, उप सचिव (वित्त), एमएचआरडी, जो श्रीमती दर्शना एम. डबराल, संयुक्त सचिव एवं एफ़ए, एमएचआरडी [विजिटर द्वारा नामित] की ओर से उपस्थित रहना था, सूचित किया कि उनके पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं सकेंगे।

बैठक के लिए कोरम पूरा हो गया है, अध्यक्ष ने बैठक प्रारम्भ होने की घोषणा की।

समिति ने एजेंडा के सभी मुद्दो को एक के बाद एक चर्चा की ।

एफ़सी:14:01	**दिनांक 12.10.2015 को आयोजित वित्त समिति की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि**

एजेंडा टिप्पणी :

दिनांक 12.10.2015 के कार्यवृत्त को संपुष्टि हेतु **(अनुलग्नक –1 पृ/सं 1–7)** में रखा गया है। इन कार्यवृत्त को दिनांक 16.10.2015 को परिचालित किया गया था।

कार्यवृत्त :

सदस्यों ने मामलों पर चर्चा की और चूंकि क्सिसि सदस्य से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, अत: समिति ने उसकी पुष्टि की।

एफ़सी:14:02	**दिनांक 12.10.2015 को आयोजित वित्त समिति की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त पर ली गयी कार्रवाई रिपोर्ट**

एजेंडा टिप्पणी :

दिनांक 12.10.2015 को आयोजित वित्त समिति के बैठक में दिये गए निर्देशों के अनुसार ली गयी कार्रवाई रिपोर्ट विचारार्थ **(अनुलग्नक –II पृ/सं. 8–13)** में रखा गया है।

कार्यवृत्त

पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयाओं पर विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी कार्रवाई पर पैरा-वार विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया था। समिति ने उसे नोट किया।

सूचनार्थ विषय

एफ़सी:14:03	मार्च 2016 और जून 2016 को समाप्त तिमाही के लिए अनुदानों की उपयोगिता रिपोर्ट

एजेंडा टिप्पणी :

मार्च 2016 और जून 2016 को समाप्त तिमाही के लिए अनुदानों की उपयोगिता रिपोर्ट को अवलोकन हेतु अनुलग्नक III (पृ/सं. 14-37) और अनुलग्नक IV (पृ./सं. 38-73) में रखा गया है।

कार्यवृत्त

समिति द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदानों की उपयोगिता में हुई प्रगति को नोट किया गया है।

एफ़सी:14:04	यूजीसी के निर्धारित प्रारूप में विश्वविद्यालय की व्यय योजना और निर्माण परियोजना

एजेंडा टिप्पणी :

यूजीसी ने दिनांक 25 अगस्त 2015 के पत्र सं एफ़. सं. 1-1/2012 (सीयू) के माध्यम से सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अपनी वित्त समिति की बैठक में यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना व्यय और भवन परियोजना की प्रगति पर एक पृथक एजेंडा रखने हेतु निवेदन किया था।

तदनुसार, यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में सूचना समिति के अनुमोदन हेतु **(अनुलग्नक -वी पृ/सं. 74)** में रखा गया गया है।

कार्यवृत्त

समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा की गयी प्रगति को नोट किया।

अनुसमर्थन हेतु विषय

एफ़सी:14:05	वार्षिक लेखा 2015-16

एजेंडा टिप्पणी :

दिनांक 4 जून 2016 को निर्धारित वित्त समिति की 14वीं बैठक कोरम पूरा नहीं होने के कारण आयोजित नहीं की जा सकी और बैठक स्थगित हो गयी थी। वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखा को वित्त समिति द्वारा यथाशीघ्र संस्तुत किए जाने की आवश्यकता थी ताकि इसे कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सके।

अत: वर्ष 2015-16 के लिए विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखाओं को एमएचआरडी द्वारा शुरू की गयी लेखाओं के संशोधित प्रारूप के अनुसार तैयार किया गाय और उसे दिनांक 3 जून 2016 को ईमेल के माध्यम से वित्त समिति के सभी सदस्यों को भेजा गया था जिसे दिनांक 10 जून 2016 को ईमेल के माध्यम से वित्त समिति के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, वार्षिक लेखा 2015-16 को दिनांक 10 जून 2016 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 25वीं बैठक में अनुमोदनर्थ प्रस्तुत किया गया था। कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन के बाद वार्षिक लेखाओं को नियंत्रक एवं महा लेखा निरीक्षक को सांविधिक लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया था।

वार्षिक लेख 2015-16 को वित्त समिति के अनुसमर्थन हेतु (अनुलग्नक -VI पृ/सं. 75-116) में रखा गया है।

कार्यवृत्त

समिति ने वार्षिक लेखा 2015-16 को अनुसमर्थन दे दिया और सांविधिक लेखा परीक्षा के बाद अध्यक्ष को नियंत्रक एवं महा लेखा निरीक्षक के सुझाव के अनुसार अंकों को सम्मिलित करने हेतु, अगर कोई हो, प्राधिकृत किया । नियंत्रक एवं महा लेखा निरीक्षक की लेखा परीक्षा के बाद संशोधित लेखाओं को सूचनार्थ वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

अनुमोदनार्थ विषय

एफ़सी:14:05	सिक्किम विश्वविद्यालय शिक्षण संघ (सूटा) को प्रारम्भिक धन का आवंटन

एजेंडा टिप्पणी :

दिनांक 17 मार्च 2013 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 16वीं बैठक में सूटा के संविधान को अनुमोदित किया गया है और दिनांक 8 दिसंबर 2013 को आयोजित 18वीं बैठक में सूटा के उपनियम को अनुमोदित किया गया है। वित्तीय प्रबंधन के तहत सूटा के उपनियम की धारा 12 (1) नीचे प्रस्तुत किया जाता है :

"1. संघ के लिए निधि

दैनिक गतिविधियों के लिए संघ की अपनी निधि होनी होगी। निधि निम्नलिखित स्रोतों से सृजित किया जाएगा :

1. *सदस्यता शुल्क*
2. *सिक्किम विश्वविद्यालय से दान*
3. *खेल/सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा प्रदर्शनी फिल्म आदि के आयोजन द्वारा*
4. *बैंक में जमा की गयी राशि से प्राप्त ब्याज*

सूटा के उपनियमों की धारा 12 (1) (2) में सिक्किम विश्वविद्यालय से दान प्राप्त करने के संबंध में एक प्रावधान है। तदनुसार, कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित अपनी 23वीं बैठक में सिक्किम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के नाम पर रु. 50,000/- की राशि का दान अनुमोदित किया है।

कार्यवृत्त

समिति ने एजेंडा को अनुमोदित नहीं किया है।

एफ़सी:14:07	**यांगयांग में सिक्किम विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण पर मेसर्स मुकेश एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुति प्रदान**

एजेंडा टिप्पणी :

सिक्किम विश्वविद्यालय यांगयांग में परिसर निर्माण करने जा रहा है जो गंगटोक से लगभग 55 कि. मी की दूरी पर है। सिक्किम विश्वविद्यालय को सिक्किम सरकार द्वारा कुल 300 एकर जमीन आवंटित किया गया है। परियोजना के लिए वास्तुकारों ने डीपीआर तैयार कर दी है। डीपीआर की अनुमानित आकलन निम्नानुसार है :

(क) प्रथम चरण - रु. 827 करोड़
(ख) द्वितीय चरण - रु. 290 करोड़
(ग) तृतीय चरण - रु. 502 करोड़
कुल रु. 1,619 करोड़

वास्तुकार बैठक के दिन प्रॉजेक्टर के माध्यम से विस्तृत प्रस्तुति प्रदान करेंगे।

यूजीसी ने विश्वविद्यालय को सलाह दी कि निविदा प्रक्रिया बारहवीं योजना में मंजूर किए जाने के अनुसार विश्वविद्यालय में उपलब्ध राशि से शुरू की जानी चाहिए। तदनुसार, बारहवीं योजना की मंजूरी के आधार पर एक गणना की गयी थी और व्यय आज की तिथि तक पहले ही हो चुका है और मार्च 2017 तक व्यय हो जाएगा। गणना के बाद यह पाया गया कि सिक्किम विश्वविद्यालय में यांगयांग में विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण के लिए लिए रु. 110 कारोर राशि उपलब्ध है, बशर्ते कि यूजीसी/एमएचआरडी निधि (रु. 300 करोड़ - 199.89 करोड़ =रु. 100.11 करोड़) को रिलीज कर दें जिसे बारहवीं योजना में सुपुर्द की गयी थी। विश्वविद्यालय ने दिनांक 06.08.2016 को जारी विज्ञापन सं SU/2016/REG-03/TDC&DUCY/3177/712 द्वारा रु. 103.97 करोड़ की अनुमानित लागत पर निर्माण के लिए निविदा प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित निर्माण कार्य किया जाएगा :

1. प्रशासनिक भवन
2. एक संकाय भवन
3. पुस्तकालय
4. प्रधान द्वार
5. परिधीय सड़क

निविदा सूचना अखबारों में प्रकाशित की जा चुकी है और पूर्व-बोली सम्मेलन का आयोजन दिनांक 20 अगस्त 2016 को निर्धारित है।

कार्यवृत्त

सदस्यों के समक्ष मेसर्स मुकेश एंड एसोसिएट्स द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण (प्रथम चरण) पर पावर पॉइंट प्रस्तुति दी गयी। समिति ने प्रस्तुति के बाद परिसर विकास के विभिन्न पक्षों के संबंध में मूल्यवान प्रतिकृया दी है।

एफ़सी:**14:08**	**विश्वविद्यालय द्वारा सांविधिक निकायों, सांविधिक निकायों की स्थायी समितियों, चयन समितियों और अन्य समितियों के अनधिकारिक बाह्य सदस्यों के लिए बैठक शुल्क का निर्धारण अधिसूचित किया है**

<u>एजेंडा टिप्पणी :</u>

दिनांक 8 अगस्त 2008 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की प्रथम बैठक में लिए गए संकल्पों के आधार पर विश्वविद्यालय सांविधिक निकायों, चयन समितियों, भवन समितियों और अन्य ऐसी समितियों के बाह्य सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित के अनुसार दिन में प्रति बैठक के लिए बैठक शुल्क के लिए मरीन रु. 2,000/- (रुपये दो हजार केवल) की राशि के भुगतान कर रहा है। यह बैठक शुल्क लगभग पिछले 8 वर्षों से एक जैसे जारी है। इस अवधि के दौरान अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा बाह्य सदस्यों के बैठक शुल्क में संशोधन किया गया है। एमएचआरडी ने भी बैठक शुल्क के भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है जहां यह स्पष्ट किया गया है कि बैठक शुल्क मंत्रालय अथवा संलग्न संस्थानों के अधिकारियों को देय नहीं है, जो ईसी, एसी आदि जैसे शासकीय संरचना में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में नामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 16 मार्च 2016 के आदेश में बैठक में भाग लेने के लिए अनाधिकारी सदस्यो को प्रति बैठक प्रति दिन बैठक शुल्क/मानदेय के रूप में 3,000/- (रुपये तीन हजार केवल) की राशि और एक दिन में कितने भी बैठक होने के बावजूद अधिकतम प्रति दिन रु. 5,000/- (रुपये पाँच हजार केवल) की राशि निर्धारित किया है।

अत: सांविधिक निकायों की स्थायी समितियों, चयन समितियों और अन्य समितियों के अनधिकारिक बाह्य सदस्यों के लिए बैठक शुल्क के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर अधिसूचित के अनुसार बैठक शुल्क/मानदेय के रूप में प्रति बैठक प्रति दिन 3,000/- (रुपये तीन हजार केवल) की राशि और एक दिन में कितने भी बैठक होने के बावजूद अधिकतम प्रति दिन रु. 5,000/- (रुपये पाँच हजार केवल) की राशि के बैठक शुल्क के निर्धारण को वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। बाह्य सदस्यों को टीए/डीए आदि जैसे अन्य भुगतान भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार होंगे।

<u>*कार्यवृत्त*</u>

समिति ने यूजीसी द्वारा दिनांक 16 मर्छ 2016 को जारी आदेश के अनुसार बैठक शुल्क/मानदेय के भुगतान के लिए विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

एफ़सी:14:09	संशोधित अनुमान 2015-16 और बजट अनुमान 2016-17

<u>एजेंडा टिप्पणी :</u>

सिक्किम विश्वविद्यालय के लिए बारहवीं योजना के सामान्य विकास सहायता के तहत रु. 300 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह राशि यांगयांग में परिसर उन्नयन के लिए आवश्यक निधि में शामिल नहीं है, जिसके लिए वित्त समिति के अनुमोदन से यूजीसी को रु. 785 करोड़ रुपये के संभावित आवंटन प्रस्तुत किया गया है।

यूजीसी ने बरहवीं योजन आवंटन में से रु. 19817.79 लाख राशि रिलीज की है, जिनमें से रु. 16471.19 लाख राशि 31.03.2016 तक उपयोग किए गए हैं। इसके अलावा, दिनक 07.04.2016 को रु. 170.92 लाख राशि का अनुदान प्राप्त हुआ है। नून्यतम आवश्यकता के आधार पर 2016-17 के लिए संशोधित बजट अनुमान (रु. 16804.00 लाख) की राशि दिखायी गयी है।

मद-वार विस्तृत प्रस्ताव समिति के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ **(अनुलग्नक-VII पृ/सं. 117-119)** में प्रस्तुत किया गया है।

<u>कार्यवृत्त</u>

समिति ने संशोधित अनुमान 2015-16 और बजट अनुमान 2016-17 को अनुमोदित किया है।

एफ़सी:14:10	यूजीसी अनुदान के संशोधित बारहवीं अनुमान 2015-16 के अंदर आंतरिक मदों का समायोजन

<u>एजेंडा टिप्पणी :</u>

बारहवीं योजना के दौरान सिक्किम विश्वविद्यालय का आवंटन रु. 300 करोड़ था, जिनमें से रु. 60 करोड़ आवर्ती वीआईए (सामान्य) के व्यय को पूरा करने के लिए था, अन्य रु. 60 करोड़ वेतन घटक को पूरा करने के लिए और रु. 180 करोड़ राशि पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए था। कुल रु. 199.89 करोड़ राशि दिनांक 30.06.2016 को प्राप्त हुआ था और 2016-17 (जून) तक कुल व्यय रु. 175.22 करोड़ था, जिससे प्राप्त अनुदान में से रु. 24.66 करोड़ राशि शेष रहीं। जून 2016 तक आवर्ती मद के अंदर विश्वविद्यालय का व्यय रु. 61.66 करोड़ है, वेतन मद में रु. 58.39 करोड़ और अनावर्ती मद में रु. 55.26 करोड़ हैं। उक्त अवधि के दौरान ब्याज सहित आंतरिक प्राप्तियाँ रु. 24.13 करोड़ राशि थी और 01.04.2012 (ग्यारहवीं योजना) को शुरुआती शेष रु. 12.68

करोड़ था। इस तरह कुल 01.07.2016 को विश्वविद्यालय में उपलब्ध निधि रु. 62.47 करोड़ थी। विश्वविद्यालय को यूजीसी से मंजूरीप्राप्त अनुदानों में से रु. 100.11 करोड़ राशि प्राप्त होने शेष है।

विश्वविद्यालय को वर्ष 2016-17 के दौरान आवर्ती (जीआईए सामान्य) (31) के अंतर्गत होनेवाले व्यय के लिए लगभग रु. 19 करोड़ और वेतन मद में लगभग रु. 26 करोड़ और सिक्किम विश्वविद्यालय के परिसर के प्रथम पैकेज के प्रथम चरण के निर्माण सहित पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए लगभग रु. 123 करोड़ राशि की आवश्यकता है।

यूजीसी द्वारा बारहवीं योजना के दौरान हमारे आवंटन राशि को बढ़ाने की कोई संभावना नहीं हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर हमें आंतरिक प्राप्तियों तथा ग्यारहवीं योजना से संग्रहीत रु. 37.81 की अग्रेषित शुरुआती शेष राशि को उपयोग करना पड़ सकता है अथवा यूजीसी अनुदानों की बारहवीं योजना के अंतर्गत आवंटन को कुछ अंतर मद में समायोजित करना पड़ सकता है।

समिति के अवलोकन तथा अनुमोदन हेतु मामले को सज्ञान में लाया गया है।

कार्यवृत्त

समिति उपर्युक्त नीति के संबंध में सहमति जताई किन्तु सुझाव दिया कि मामले को यूजीसी की सहमति के लिए यूजीसी को भेजा जाए।

एफ़सी:14:11	**अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई मद**

एजेंडा टिप्पणी :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 9 जून 2016 के पत्र सं F. No. 1-1/2013/CU) द्वारा बारहवीं यौजा अवधि के दौरान लेपचा, लिम्बू और भूटिया में एमए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए निम्नानुसार 12 (बारह) शिक्षण पदों के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	अनुमोदित शिक्षण पद			
		प्रोफेसर	सह प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	कुल
1	लेपचा विभाग	1	1	2	4
2	लिम्बू विभाग	1	1	2	4
3	भूटिया विभाग	1	1	2	4
		3	3	6	12

यूजीसी ने दिनांक 23.03.2016 के पत्र सं F.15-5/2012 (CU) द्वारा शिक्षा विद्यापीठ एम.एड पाठ्यक्रम के लिए 4 सहायक प्राध्यापक (अस्थायी किन्तु स्थायी होने की संभावना है) और 4 गैर-शिक्षण पदों के लिए मंजूरी प्रदान की है।

संविधि 17 (6) कहता है "*पदों के सृजन से संबन्धित सभी प्रस्तावों और बजट में शामिल नहीं किए गए मदों को कार्यकारिणी परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करने से पहले वित्त समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा।*

कार्यवृत्त

समिति ने कार्यकारिणी परिषद द्वारा पदों के सृजन की सिफ़ारिश की है।

हस्ता./-
(प्रोफेसर टी.बी.सुब्बा)
अध्यक्ष

हस्ता./-
(सीए. पी.के.सिंह)
वित्त अधिकारी सह सचिव

वित्त समिति

वित्त समिति